

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

विभिन्न कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2002 (कार्तिक ३०, १९२४)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रस्तुति

(1) पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

(2) श्री करण सिंह वर्मा, सदस्य, का उच्च शिक्षा मंत्री से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक-1.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री चन्द्रशाम पाटीवार, सामाज्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक ३७ सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (६) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश एवं उत्तीर्णगढ़ राज्य के लिए लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का उच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2000-2001) में से मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अंश एवं लोक आयुक्त संगठन का उच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001, व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के उच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपान्तर पटल पर रखेंगे।

(2) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का ३७ वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री शिवनारायण मीणा, राज्यमंत्री पशुपालन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित, भोपाल (समापनाधीन) के समापक का लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, भोपाल के अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में एक उद्योगपति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री करण सिंह वर्मा, भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, सीहोर जिले के बिलकिसगेज कस्बे में डाकुओं द्वारा हत्या कर लूट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्थीकृति

श्री राजनारायण सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-
"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्ताईसवां प्रतिवेदन से सहमत है।"

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जयसिंह मरावी, सदस्य, शहडोल जिले के कोतमा नगर में पूर्णकालिक एस.डी.ओ. (राजस्व) का न्यायालय संचालित कराये जाने,

(2) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) कुम्ही-उमरियापान मार्ग के पड़ुआ नाले पर पुल बनाये जाने, तथा
(ख) सेलवारा गाड़ा मार्ग के चण्डी घाट पर पुल बनाये जाने,

(3) श्री अन्तर सिंह दरबार, सदस्य, गवालियर नगर स्थित शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था "नारी पूर्व प्राथमिक विद्यालय खासगी चौराहा, लश्कर" के सहायक शिक्षकों को शेष अवधि का वेतन दिलाये जाने,

下卷 - 2 -

(4) श्री रामकास शिवहरे, सदस्य, खण्डवा ज़िले के ग्राम सिरपुर में हाईस्कूल खोले जाने,

(5) एडव्होकेट विद्यावती पटेल, सदरस्थ, सीधी जिले के ग्राम शिकारगंज में विद्युतीकरण कराये जाने,

(6) श्री कृष्णमोहन मालवीय, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सावरस्या (कडलावद) में 3.15 के व्यापारी, का विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने; तथा

(7) श्री शिवमोहन सिंह, सदस्य, सेक्सेंसल जिले के मगराज एवं बिधुई लिफट इंडीगेशन योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने, के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

६. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री धनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अन्य पिछले वर्षों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2002 (ब्रम्मांक 25 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जर्दा

निर्धारित

समय

1 घन्टा

प्रदेश में विद्युत संकट तथा कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री कमल पटेल, हरीशकर जायसवाल (हरि भैया), नरेश सिंह पटेल, रामपाल सिंह, नरेन्द्र बिरथरे, कैलाश विजयवर्गीय, राजेन्द्र भारती (दलिया), लक्ष्मीकांत शर्मा, कुंवर विजय शाह, सर्वश्री रसाल सिंह, हिम्मत कोठारी, भूपेन्द्र सिंह, लाल सिंह, राव देशराज सिंह यादव तथा डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे।

८. प्रतिवेदनों पर अर्ची

३ चतुर्दश

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पालन प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक पर चर्चा।

प्र० एस० व०

भौषण

Digitized by srujanika@gmail.com

प्राचीन भारतीय

प्रसादेश मित्रान्त जागा-

प्राचीन राजा.